[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं॰. 08/2020 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 02 मार्च, 2020

सा.का.नि. ....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगा।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।"

[फा.सं॰-20/06/03/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सं0 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका संख्यांक सा.का.नि. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 02/2020-केन्द्रीय कर तारीख 1 जनवरी, 2020 अंतिम संशोधन किया गया था।